

विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति स्नातक स्तर के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

श्रीमती बृजवाला शर्मा

प्रोफेसर, सर्वधर्म महाविद्यालय ग्वालियर

सारांश

उच्च शिक्षा के विकास हेतु भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात अनेक प्रयास किये गये हैं। स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा के पुनरूत्थान हेतु समय-समय पर अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है जिनमें राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग एवं हाल ही में प्रो० यशपाल समिति द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रमुख है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये विभिन्न प्रयासों के बाद भी आज देश में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 100 में से मात्र 12 छात्र ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो कि बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। इससे भी अधिक चिन्तनीय विषय यह है कि अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन का स्तर आशा के अनुकूल नहीं है और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय व शैक्षिक संस्थान विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आज सिर्फ डिग्री बॉटने के केन्द्र के रूप में पहचान मिली हुई है।

प्रस्तावना

उच्च शिक्षा के विकास हेतु भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात अनेक प्रयास किये गये हैं। स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा के पुनरूत्थान हेतु समय-समय पर अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है जिनमें राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग एवं हाल ही में प्रो० यशपाल समिति द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रमुख है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किये गये विभिन्न प्रयासों के बाद भी आज देश में उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 100 में से मात्र 12 छात्र ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो कि बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। इससे भी अधिक चिन्तनीय विषय यह है कि अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन का स्तर आशा के अनुकूल नहीं है और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय व शैक्षिक संस्थान विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आज सिर्फ डिग्री बॉटने के केन्द्र के रूप में पहचान मिली हुई है। शिक्षा के वैश्वीकरण हो जाने के फलस्वरूप भारतीय संसद द्वारा विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं यहां पर स्थापित करने की अनुमति सम्बन्धी विदेशी शैक्षणिक संस्थान प्रवेश और परिचालन का नियमन विधेयक -2010 पारित किया गया है जिसकी प्रमुख शर्तें हैं जैसे - भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को भारत में अपना पाठ्यक्रम चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से सुसज्जित होना चाहिए। विदेशी संस्थानों को कम

विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति स्नातक स्तरश्रीमती बृजवाला शर्मा
1172 Available at: <http://shodhmanthan.anubooks.com/> <https://doi.org/10.31995/shodhmanthan>

से कम 20 वर्षों तक शिक्षा प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए तथा शिक्षा प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें 50 करोड़ रुपये का फण्ड स्थापित करने का वायदा करना होगा, जिसकी अधिसूचना समय-समय पर केन्द्र सरकार करेगी। ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक गतिविधियों से अर्जित धन को अपने देश नहीं ले जा सकेंगे। विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों या गलत सूचना मुहैया कराने वालों को 10 लाख से 50 लाख रुपये का आर्थिक दण्ड लगाने का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

1. विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति अनुदानित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित व अनुदानित शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित व अनुदानित शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि एवं कारणात्मक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। शोध कार्य के लिए न्यादर्श का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रतिचयन विधि के द्वारा किया गया है। न्यादर्श के रूप में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से सम्बद्धता महाविद्यालय के 160 शिक्षक-शिक्षिकाओं अनुदानित के 40 शिक्षक व 40 शिक्षिकाएं तथा स्ववित्त पोषित के 40 शिक्षक व 40 शिक्षिकाएं का चयन किया गया है। शोधार्थिनी के द्वारा अनुदानित और स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों के स्नातक स्तर के शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति के मापन हेतु स्वनिर्मित शिक्षक अभिवृत्ति प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। जिसमें शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं की विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति मतों से सम्बन्धित 40 प्रश्न समावेशित हैं। आँकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रतिशत एवं क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयी है।

तालिका 1

विदेशी शिक्षण संस्थाओं के प्रति भारत में प्रवेश के प्रति
स्ववित्तपोषित शिक्षक –शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

क्र० सं०	समूह	N	M	S.D.	क्र० अनु०
1.	स्ववित्त पोषित शिक्षक	40	129.62	7.77	1.86
2.	स्ववित्त पोषित शिक्षिकाएं	40	132.85	7.78	

0.01 सार्थकता स्तर पर असार्थक

क्रान्तिक अनुपात की गणना करने पर यह मान 1.86 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर के लिए सारणी मान 1.96 से कम पाया गया जो असार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में किसी स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति लगभग समान है।

तालिका 2

विदेशी शिक्षण संस्थाओं के प्रति भारत में प्रवेश के प्रति अनुदानित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

क्र० सं०	समूह	N	M	S.D.	SE _d	क्र० अनु०
1.	अनुदानित शिक्षक	40	138.57	14.65	3.08	1.72
2.	अनुदानित शिक्षिकाएं	40	143.87	12.89		

0.01 सार्थकता स्तर पर असार्थक

क्रान्तिक अनुपात की गणना करने पर यह मान 1.72 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर के लिए सारणी मान 1.96 से कम पाया गया जो असार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति अनुदानित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में किसी स्तर पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति अनुदानित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति लगभग समान है।

तालिका 3

विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

क्र० सं०	समूह	N	M	S.D.	SE _d	क्र० अनु०
1.	स्ववित्त पोषित शिक्षक	40	129.62	7.77	2.62	3.41
2.	अनुदानित शिक्षिकाएं	40	138.57	14.65		

0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

क्रान्तिक अनुपात की गणना करने पर 3.41 मान प्राप्त हुआ जो कि 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के लिए क्रमशः सारणी मान 1.96 व 2.58 से अधिक पाया गया जो सार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित शिक्षकों की अभिवृत्ति में 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर है अर्थात् स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित शिक्षकों की अभिवृत्ति समान नहीं है। अनुदानित शिक्षकों के प्राप्तांकों का मध्यमान 138.57 तथा स्ववित्त पोषित शिक्षकों के प्राप्तांकों का मध्यमान 129.62 से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति अनुदानित शिक्षकों की अभिवृत्ति स्ववित्तपोषित शिक्षकों एवं की अभिवृत्ति की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है।

विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित एवं
अनुदानित शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

क्र० सं०	समूह	N	M	S.D.	SEd	क्र० अनु०
1.	स्ववित्त पोषित शिक्षिकाएँ	40	132.82	07.78	2.30	4.64
2.	अनुदानित शिक्षिकाएँ	40	143.87	12.89		

0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

क्रान्तिक अनुपात की गणना करने पर यह मान 4.64 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 सार्थकता स्तर के लिए क्रमशः सारणी मान 2.58 से अधिक पाया गया जो सार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में सार्थकता के दोनों स्तरों 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर है अर्थात् विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति समान नहीं है। अनुदानित शिक्षिकाओं के प्राप्तांकों का मध्यमान 143.87 स्ववित्तपोषित शिक्षिकाओं के प्राप्तांकों के मध्यमान 132.82 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में प्रवेश के प्रति अनुदानित शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति स्ववित्तपोषित शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है।

निष्कर्ष

स्ववित्तपोषित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों की ही संवेगात्मक समानताएं समान रूप की हो सकती है दोनों ही विदेशी शिक्षण संस्थाओं के आगमन के प्रति समान विचार रखते हैं। विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश के प्रति शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है इसका मुख्य कारण दोनों ही स्तरों की संवेगात्मक अभिवृत्ति समान है। इस अभिवृत्ति में स्ववित्तपोषित और अनुदानित शिक्षकों में सार्थक अन्तर देखा गया जिसका मुख्या कारण दोनों ही संस्थानों के शिक्षकों की संवेगात्मक अभिवृत्तियां समान नहीं हैं तथा दोनों के विचार अलग-अलग हैं। इस अभिवृत्ति में स्ववित्तपोषित और अनुदानित शिक्षिकाओं में भी सार्थक अन्तर पाया गया जिसका कारण दोनों ही प्रकार के संस्थाओं की शिक्षिकाओं की संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक परिस्थितियों का भिन्न होना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- 1 कपिल डॉ० एच० के०, (2008) अनुसंधान विधियां, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
- 2 सारस्वत मदन मोहन, (2000) भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, कैलाश प्रकाशन इलाहाबाद
- 3 भटनागर डॉ० सुरेश, (1998) शिक्षण की तकनीक, इण्टरनेशनल पब्लिक हाउस मेरठ
- 4 मेहता चतुर सिंह, जोशी दिनेश चन्द (2000) शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धान्त एवं समस्याएँ, राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर